भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 935

दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं

935. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और ग्राम स्वास्थ्य क्लीनिकों में, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लोगों के लिए, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है और क्या सरकार का घर पर, विशेषकर महिलाओं के लिए, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं आरम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सरकारी स्कूलों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में, व्यक्तिगत और कैरियर परामर्श के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे बच्चों को सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में होने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) ग्रामीण भारत में कार्यरत मनोचिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं की संख्या कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान(निम्हांस), बेंगलुरू के माध्यम से देश के 12 राज्यों में भारत का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस), 2016 कराया है, जिसके

अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में मानसिक विकारों की व्याप्तता लगभग 10.6% है। इसके अलावा, सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों (6.9%) और शहरी गैर-महानगरीय क्षेत्रों (4.3%) की तुलना में शहरी मेट्रो क्षेत्रों (13.5%) में मानसिक रुग्णता की व्याप्तता अधिक है।

मानसिक बीमारियों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप एनएमएचपी का एक अभिन्न अंग हैं। जिला स्तर पर सामुदायिक भागीदारी के साथ समुदाय, स्कूलों, कार्यस्थलों में आईईसी और जागरूकता सृजन कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गैर-संचारी रोग फ्लेक्सी-पूल के अंतर्गत डीएमएचपी के तहत प्रत्येक जिले को पर्याप्त निधियां प्रदान की जाती हैं। डीएमएचपी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न आईईसी कार्यकलाप जैसे स्थानीय समाचार पत्रों और रेडियो में जागरूकता संदेश, नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग आदि किए जाते हैं।

देश में वहनीय और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए, सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की निरंतर परिचर्या और सहायता, औषधियां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली रोगी सुविधा का प्रावधान है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.6 लाख से अधिक एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और यूएचडब्ल्यूसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और मादक द्रव्यों के उपयोग संबंधी विकारों (एमएनएस) पर परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत, 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मध्यम या विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत उपचार पैकेज बहुत व्यापक हैं जिनमें दवाओं और नैदानिक सेवाओं

जैसे विभिन्न उपचार संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी पीएमजेएवाई के तहत कवर की जाती हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। दिनांक 04.12.2023 तक, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 46 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और टेली मेंटल हेल्थ सेवाएं शुरू की हैं और हेल्पलाइन पर 4,81,000 से अधिक कॉल का निपटान किया गया है।

किशोर आबादी का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014 से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) कार्यान्वित कर रहा है। आरकेएसके स्कूल जाने वाले और स्कूल नहीं जाने वाले किशोरों दोनों को कवर करता है। यह क्लिनिक-आधारित सेवाओं से प्रचार और रोकथाम और किशोरों के सहज वातावरण जैसे कि स्कूलों, परिवारों और समुदायों में पहुँच कर सेवाएं प्रदान करने का एक बड़ा परिवर्तन है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (एसआरएच), पोषण, चोटों और हिंसा (लैंगिक हिंसा सहित), गैर-संचारी रोगों और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के अलावा मानसिक स्वास्थ्य आरकेएसके के प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में से एक है।

आरकेएसके अपने कार्यों नामत किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य और कल्याण दिवस (एएच एंड डब्ल्यूडी) के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने और परामर्श सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें माता-पिता, गांव के बुजुर्ग, शिक्षक, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और स्वयं किशोर शामिल हैं।

आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम में एक समर्पित मॉड्यूल के रूप में "भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य" को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य और कल्याण राजदूतों (शिक्षकों) को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर स्कूली बच्चों को सहायता और जागरूकता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के अन्य विषयगत क्षेत्रों के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण स्व-भावनाओं की पहचान करने, स्वयं और दूसरों में संकट के संकेतों की पहचान करने और यह पहचानने पर केंद्रित है कि 'मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण' एक निरंतरता के साथ मौजूद है। स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत छात्रों के साथ इंटरैक्टिव सत्र लेते हैं और हंसी-खुशी सीखने को बढ़ावा देने वाले साप्ताहिक सत्रों के माध्यम से संदेश प्रसारित करते हैं।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तत्वावधान में एनसीईआरटी ने 'प्रशिक्षण और संसाधन सामग्री स्कूल जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य और आरोग्य' नामक एक व्यापक पैकेज तैयार किया है। "भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य" पर एक विशिष्ट मॉड्यूल शामिल किया गया है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं।

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) के सहयोग से स्कूल जाने वाले बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्रारंभिक पहचान और कार्यक्रम पर मॉड्यूलर हैंडबुक विकसित की गई है, जिसमें शिक्षकों, परामर्शदाताओं और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं (तनाव/बीमारी) की शीघ्र पहचान, पता लगाने और अंतक्षेप के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं। यह हैंडबुक शिक्षा मंत्रालय द्वारा 06 सितंबर, 2022 को लॉन्च की गई थी।

शिक्षा मंत्रालय ने कोविड प्रकोप के दौरान और उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों को कवर करते हुए 'मनोदर्पण' नामक एक सक्रिय पहल शुरू की है। मनोदर्पण पहल के तहत, एक वेब पेज (URL: http://manodarpan.education.gov.in) बनाया गया है, जिसमें सलाहकार दिशानिर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), व्यावहारिक सुझाव, पोस्टर, वीडियो, छात्रों, शिक्षकों/ संकाय और परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए क्या करें और क्या न करें संबंधी जानकारियां शामिल हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों तक देशव्यापी पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (8448440632) स्थापित की गई है ताकि उन्हें कोविड-19 की स्थिति के दौरान और बाद में उनके मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए टेली-परामर्श प्रदान किया जा सके।

एनसीईआरटी ने अप्रैल, 2020 में 'स्कूली बच्चों के लिए एनसीईआरटी काउंसलिंग सेवाएं' शुरू की हैं ताकि देश भर के स्कूली छात्रों को उनकी चिंताओं को साझा करने में मदद मिल सके। यह सेवा देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 270 परामर्शदाताओं द्वारा नि: शुल्क प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 12 के लिए दोपहर 12 बजे ई-विद्या डीटीएच-टीवी चैनलों पर 'सहयोग: बच्चों के मानसिक कल्याण के लिए मार्गदर्शन' पर लाइव इंटरैक्टिव सत्र प्रसारित किए जाते हैं। तनाव और चिंता से निपटने के लिए, योग पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो 1 सितंबर, 2020 से कक्षा 1 से 12 तक 12 डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं और डिजिटल संसाधनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी दीक्षा में भी उपलब्ध कराया जाता है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) केंद्रीकृत टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से परीक्षा पूर्व और बाद की टेली-काउंसलिंग सुविधाएं प्रदान करता है।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर विभागों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है। 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है। ये सेवाएं पीएमजेएवाई के तहत भी उपलब्ध हैं।

सरकार वर्ष 2018 से डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य देखभाल परिचर्या और पैरा मेडिकल पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके देश के वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि कर रही है, जो तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर, असम, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री, रांची में स्थापित है।

*****